FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु ......मुकाम......

दीपसिंह वगैरह ......बनाम...... [illegible] वगैरह

मुकदमा ...111,128 LR Act... नं. 183 / 2020 ...सन...

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.07.2020	प्रार्थी/~~वादी~~/~~अपीलांट~~ के वकील श्री ...नरपत पुरोहित... ने यह प्रार्थना पत्र/~~वाद~~/~~अपील~~ धारा ...111,128... ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोडेंट~~ जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ...08.09.20... को पेश हो। (हस्ताक्षर) विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुउपस्थित। जिनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 24/09/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24/09/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए बावजूद तामिल विप्रार्थीगण अनुउपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खाते-दारी भूमि पास-पास आई हुई है जिनके मध्य जो पुरानी मार्ग व डोले आये हुए थे जो वर्त-मान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों में [illegible] ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इस [illegible] (हस्ताक्षर) विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:37:19 IST
Reason: SelfAttested

सेढ़े को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य
तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी की पत्थरबन्दी
करानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन
स्वीकार किया जाकर पत्थरबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का पत्थरबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बंधित भू-अभिलेख
निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश
दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से
प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थरबन्दी मौके पर
कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने
पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज
नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:37:19 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क/आवेदन/2020/ 711 दिनांक :– 24/09/2020

स्व आवेदन संख्या –183/2020

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

श्री हबीब खां पुत्र बीलाल खां वगैरा 13 जाति–मुसलमान निवासी–सुजाणियों की ढाणी, कसुम्बला भाटियान, तहसील–गिडा, जिला–बाडमेर

श्री सादी खां पुत्र रिडमल खां वगैरा 21, निवासी–सुजाणियों की ढाणी, कसुम्बला भाटियान, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–सुजाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल–कसुम्बला भाटियान, तहसील–गिड़ा, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 134/72, 70, 71 रकबा क्रमशः 178.02, 00.04, 94.07 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :– 24/09/2020

बायतु

क्रमांक/आवेदन/2020/ 712-716

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमवंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री हबीब खां पुत्र बीलाल खां वगैरा 13।
4. विप्रार्थीगण श्री सादी खां पुत्र रिड़मल खां वगैरा 21।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 18:37:19 IST
Reason: SelfAttested